भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2403
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि

2403. श्री सनातन पांडेयः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कुल बजट आवंटन कितना है और अब तक कितनी राशि व्यय की गई/नहीं की गई तथा कितना कार्य पूरा हो गया/लंबित है; और
(ख) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अनुबंध दिए गए थे?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल लागू कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 06.03.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.28 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 06.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.51 करोड़ (80.07%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 3.85 करोड़ परिवारों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्यपरिपूर्णता योजना के अनुसार निर्माण कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

मिशन का प्रारंभिक अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये था। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लगभग संपूर्ण केन्द्रीय हिस्से का उपयोग कर लिया गया है। विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	**बजटीय आवंटन (केंद्रीय)**	**उपयोग की गई निधि (केंद्रीय)**	**पीएफएमएस के अनुसार व्यय (केंद्र + राज्य)**
2019-20	10,000	10,000	10,074
2020-21	11,000	11,000	20,450
2021-22	45,011	40,126	43,552
2022-23	55,000	54,840	92,340
2023-24	70,000	69,992	155,979
2024-25#	22,694	21,980	72,892
कुल योग	**2,13,705***	**2,07,938**	**3,95,287**

**2,08,652 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग तक सीमित। स्रोत: आईएमआईएस/पीएफएमएस*

#: दिनांक 10.03.2025 तक

इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की भी घोषणा की है।

(ख): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण राज्यों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव के अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इसलिए, अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल कंपनियों की संख्या और नाम शामिल हैं, भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****